

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./बाढ़/2020-21/स्वीकृति/2022/ 226

दिनांक: 21/01/2022

-: स्वीकृति आदेश :-

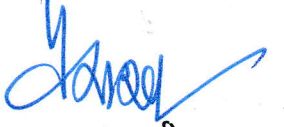
तहसील कार्यालय धरियावद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्रों में मानसून के दौरान अतिवृष्टि से कच्चा मकान आंशिक क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाये गये हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार प्रतापगढ़ की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के सशोधित आदेश No. 32-7/2014-NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधान अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. स.	आवेदन संख्या	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	AR/PRAT/2021/012385	श्री रामा पिता पदीया मीणा निवासी केशरपुरा ग्रा.प. गाडरियावास तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 22.09.2021 को मानसून के दौरान अतिवृष्टि से कच्चा मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर।	3200/-रु.
कुल योग				3200/-रु.

(अक्षरे तीन हजार दौ सौ मात्र)

नोट:- इस राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:-

2245-02-113-(09)-[07]-12



(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

दिनांक: 21/01/2022

क्रमांक:-आ.प्र.एवंसहा./बाढ़/2020-21/स्वीकृति/2022/ 227-33

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
5. तहसीलदार, धरियावद।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
7. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़